555

5 रु. भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES Rs.5 विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र0क. पुर्नविलोकन– 5994/2018/देवास/भू.रा.

श्री ओ.पी. शर्मा (एड.) द्वारा आज दि. 03/10/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-10-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

O.P. Sharma 03-10-18

गजेन्द्र उपाध्याय पिता स्व. श्री प्रेमनारायण जी उपाध्याय आयु– 44 वर्ष, व्यवयाय शासकीय शिक्षक निवासी–ग्राम बिजवाड़ फाटा, तहसील कन्नोद, जिला देवास (म.प्र.)————आवेदक

बनाम

1– श्रीमती प्रियंका पति स्व. हरीओम उपाध्याय, निवासी– सुरेन्द्र गार्डन बाग मुगलिया, होशगाबाद रोड भोपाल (म.प्र.)

2– वेदान्त पिता स्व. हरीओम उपाध्याय निवासी– सुरेन्द्र गार्डन बाग मुगलिया, होशगाबाद रोड भोपाल (म.प्र.)

3– छतर सिंह पिता भेरू सिंह राजपूत निवासी– ग्राम बिजवाड़ फांटा, तहसील कन्नोद, जिला देवास (म.प्र.)

4– पटवारी हल्का नम्बर–2 ग्राम बिजवाड़ फाटा, तहसील कन्नोद, जिला देवास (म.प्र.)

5– अनुविभागीय अधिकारी कन्नोद, जिला देवास (म.प्र.) ————अनावेदकगण

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व मण्डल 44 01 09 3/10/18

पुर्नविलोकन आवेदन – पत्र अन्तर्गत धारा – 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता – 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–8–2018 पारित द्वारा प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी पी.वी.आर. /निगरानी/देवास/भू.रा./2018/1638 से परिवेदित होकर।

(2)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - पुनरावलोकन 5994/2018/देवास/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/12/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग0/देवास/भू0रा0/ 2018/1638 में पारित आदेश दिनांक 29-8-2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पुर्नविलोकन का क्षेत्र सीमित होता है और अपवाद स्वरूप् विशिष्ट परिस्थितियों में ही पुर्नविलोकन किया जाना न्यायोचित होता है, और जिन आधारों पर अपील या निगरानी स्वीकार हो सकती है वे पुनरावलोकन के आधार नहीं हो सकते । संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :- 1- किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश पारित किया गया था, पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2- मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3- अन्य कोई पर्याप्त कारण आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों में उपरोक्त आधारों में से कोई आधार नहीं बतलाया जा सका है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आधार नहीं है । पुर्नविलोकन में अन्य जिन आधारों को बतलाया गया है उन आधारों पर इस न्यायालय द्वारा विधिवत विचार करके आदेश पारित किया गया है । न्यायदृष्टांत 1976 आर0एन0 26 में राजस्व मंडल के विद्वान अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी है कि -' जब कोई भूल अभिलेख से प्रत्यक्षत: दर्षित हो तब पुर्नविलोकन नहीं हो सकेगा । पुर्नविलोकन के बहाने किसी प्रकरण को इस उद्धेश्य से नहीं खोलाजा सकता कि उसी सामग्री के आधार पर पुन: निर्णय किया जाये । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1995 एम.पी.एल.जे. 26 (मीरा भानजा विरूद्ध निर्मला कुमार चौधरी) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि - सी.पी.सी. आदेश 47 नियम-1 अभिकथित गलती को ढूंढ़ निकालने की दृष्टि से समग्र साक्ष्य की विवेचना अनुज्ञेय नहीं । उपरोक्त न्यायदृष्टांतो में अभिनिधारित मत एवं प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूं । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुर्नविलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । प्रशासकीय सदस्य	